(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 5/2019

बउनवान

1. कृष्णमुरारी आयु 49 वर्ष पुत्र रामलाल काछी निवासी सांगोद तह.सांगोद जिला कोटा
2.बृजमोहन आयु 52 वर्ष पुत्र रामलाल काछी निवासी सांगोद तह.सांगोद जिला कोटा
3.पुष्पाबाई आयु 55 वर्ष पुत्री रामलाल पत्नि प्रभूलाल काछी निवासी सांगोद तह.सांगोद
4.अयोध्याबाई बेवा बद्रीलाल काछी निवासी सांगोद तह. सांगोद जिला कोटा
5.जितेन्द्र उम्र 24 वर्ष पुत्र बद्रीलाल काछी निवासी सांगोद तह. सांगोद जिला कोटा
6.कमलेश उम्र 31 वर्ष पुत्र बद्रीलाल काछी निवासी सांगोद तह. सांगोद जिला कोटा

(अपीलांट)

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ
2. भंवरलाल पुत्र अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ
3. मांगीलाल पुत्र अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ
4. बरदीबाई पुत्री अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ
5. नारायणी पुत्री अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ
6. कल्लीबाई बेवा अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ **(मृतक)**
7. घांसीलाल पुत्र कजोड काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ
8. भागचन्द पुत्र कजोड काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ
9. गजानन्द पुत्र जमनालाल सोनी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 338 दि. 5.7.2000
अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :– 1. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)
क्रम. 1,2,3,4,5,7,8

निर्णय दिनांक 25.09.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 338 दिनांक 5.7.2000 ग्राम टोडी से अप्रसन्न होकर विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 01.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल संबधित मूल पत्रावली को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1,2,3,4,5,7,8 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये ओर रेस्पोडेन्ट क्रम 9 अनुपस्थित रहे है ओर क्रम 10 पेरोकार सरकार उपस्थित रह है। प्रकरण मे सर्वप्रथम उभयपक्ष की लिमिटेशन के बिन्दु पर बहस सुनी जाकर, लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रकरण मे विस्तृत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कहा गया कि ग्राम टोडी तहसील छबडा मे खसरा नम्बर 290 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा एवं खात संख्या 72 किता 3 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमियां स्थित है। जो राजस्व कागजात मे खसरा नम्बर 290 अमरलाल, घासीलाल पुत्रगण कजोड गोपीबाई पुत्री कजोड हिस्सा 3/8 एवं खतौनी संख्या 72 की बिशनीबाई बेवा कजोड, अमरलाल घासीलाल भागचन्द पुत्रगण कजोड, गोपीबाई पुत्री कजोड जाति काछी के नाम दर्ज थी। इनमे से गोपीबाई का स्वर्गवास हो गया है।

गोपीबाई की भूमियां जो ग्राम टोडी तहसील छबउा मे थी। गोपीबाई के फोत होने के कारण इन्तकाल नम्बर 338 मे गोपीबाई के भाई अमरलाल घासीलाल भागचन्द का नाम दर्ज कर दिया तथा उसके भाईयो के नाम इन्तकाल तस्दीक कर दिया व गोपीबाई के हिस्से पर उसके भाईयो अमरलाल घासीलाल भागचन्द का नाम दर्ज कर दिया। जबकि गोपीबर्इा का पुत्र व पुत्रिया मौजूद है। जो इस प्रकरण मे अपीलांट है। गोपीबाई के एक पुत्री पुष्पाबाई तथा तीन पुत्र बृजमोहन, कृष्णमुरारी व ब्रदीलाल है। जिनमे बद्रीलाल भी फोत हो गया है तथा उसके उसकी बेवा व दो पुत्र है। इस प्रकार गोपीबाई के हिस्से पर जो उसके जायज वारिस है, उनका नाम दर्ज करना चाहिये था।

यह कि गोपीबाई मूल निवासी सांगोद जिला कोटा की रहने वाली थी। उसकी मृत्यु दिनांक 23.11.1998 को ग्राम सांगोद मे हुयी। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका सांगोद का पेश है। जिसमे गोपीबाई के पति का नाम रामलाल उसकी मॉ का नाम बिशनीबाई व पिता का नाम कजोड है। इससे यह स्पष्ट है कि मृतक गोपीबाई अपीलांट की माता थी तथा उसके फोत होने पर उसका फोती इंतकाल नम्बर 338 दिनांक 5.7.2000 को खोला गया है। जो खिलाफ कानून है। इनमे से भी अमरलाल फोत हो गया है इस कारण उसके वारिसान को पक्षकार बना दिया गया है। भागचन्द ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामे से गजानन्द पुत्र जमनालाल सोनी को बेचान कर दिया जो खिलाफ कानून है। इस कारण समस्त रेस्पोडेन्ट को आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बना दिया गया है।

अपीलांट को इन्तकाल नम्बर 338 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.3.2019 को हुयी जब पटवारी हल्का ने हमे बताया कि तुम्हारी मॉ की जमीन तो बेचान हो चुकी है। तब अपीलांट ने दिनांक 5.3.2019 को नकल के लिये प्रार्थना पत्र लगाया व दिनांक 5.3.2019 को नकल मिली। इस कारण तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। दिनांक 5.7.2000 से 4.3.2019 तक की अवधि जानकारी के अभाव मे कन्डोन फरमायी जावे। इसके लिये दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन व शपथ पत्र पृथक से पेश कर दिया है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नम्बर 338 दिनांक 5.7.2000 ग्राम टोडी तहसील छबडा निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 338 दिनांक 5.7.2000 ग्राम टोडी तहसील छबडा न्याय के प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुरूप सही खोला गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही हुई है। अपीलांट द्वारा उक्त इन्तकाल की अपील 18 वर्ष बाद काफी विलम्ब से, बिना कारण बताये प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट को निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकारान की बहस सुनी उस पर मनन किया समस्त रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा इन्तकाल नंबर 338 दिनांक 5.7.2000 ग्राम टोडी तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

उक्त इंतकाल की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे विलम्ब से प्रस्तुत की गई है ओर लिमिटेशन के बिन्दु पर उभयपक्ष की सर्वप्रथम बहस सुनी जाकर, लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, ही प्रकरण मे विस्तृत बहस सुनी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को न्याय के विधिक सिद्वान्तो के अनुरूप सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया जाना पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीक किया गया इन्तकाल नम्बर 338 दिनांक 5.7.2000 ग्राम टोडी तहसील छबडा निरस्त किया जाता है ओर तहसीलदार छबडा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मुताबिक वंशवृक्ष पुनः नए सिरे से वारिसान की जॉच मजमे आम मे/ग्राम पंचायत की बैठक मे चर्चाकर की जावे। इस निर्देश के साथ इन्तकाल नम्बर 338 दिनांक 5.7.2000 का प्रचलन निरस्त कर पत्रावली रिमाण्ड की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.24 15:05:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: